न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1694–पीबीआर/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 12–11–2003 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 16/2003–04/अपील.

.....

1–सूबालाल पुत्र भगवानसिंह
2–मनोज अवयस्क पुत्र स्व0लक्ष्मणसिंह
द्वारा संरक्षक मॉ छोटीबाई पत्नी लक्ष्मणसिंह
निवासी गण ग्राम ब्रम्हा का पुरा, सुसेरा,
तहसील एवं जिला ग्वालियर

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–जगदीश पुत्र होतमसिंह
1–मोहरसिंह पुत्र होतमसिंह
1–धर्मेन्द्र पुत्र होतमसिंह
निवासीगण ब्रम्ह का पुरा
तहसील व जिला ग्वालियर
4–मध्यप्रदेश शासन

..... अनावेदकगण

.....

श्री एस0के0वाजपेयी, अभिभाषक–आवेदकगण
श्री जगदीश श्रीवास्तव,अभिभाषक–अनावेदक क्र.1 से 3
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, पेनल अभिभाषक–अनावेदक क्र.4

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक: 3/12/15 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–11–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा नायब तहसीलदार ग्वालियर के समक्ष ग्राम सुसेरा स्थित भूमि सर्वे कमांक 202 मिन रकबा 1.672 हेक्टेयर के व्यवस्थापन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । नायब तहसीलदार वृत्त 2(ब) लश्कर द्वारा प्रकरण कमांक 32/99–20002/अ–19 दर्ज कर दिनांक 18–7–2002 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन अनावेदकगण के पक्ष में किया गया । नायब तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–10–2003 को आदेश पारित कर नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन करने के पूर्व राजस्व पुस्तक परिपत्र में दिये गये नियमों का पालन करते हुये उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुये व्यवस्थापन की कार्यवाही की जाये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से परिवेदित होकर अनावेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक दिनांक 12–11–2003 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 30–10–2003 निरस्त करते हुये निर्देश दिये गये कि नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने के लिये आवेदकगण स्वतंत्र है । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा बिना आवेदकगण को सुनवाई का अवसर दिये और बिना अभिलेख बुलाये आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि जिस दिनांक को अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 के पक्ष में प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन किया गया है, उस दिनांक को उनके परिवार में 50 बीघा से भी अधिक भूमि थी, इस कारण वह भूमिहीन कृषक की श्रेणी में नहीं आता है और उन्हें भूमि की आवश्यकता नहीं थी, इसके बावजूद भी नायब तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का व्यवथापन अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 के पक्ष में करने में अवैधानिकता

की गई है और अपर आयुक्त द्वारा तकनीकी बिन्दु के आधार पर अपरोक्ष रूप से नायब तहसीलदार के आदेश की पुष्टि करने में त्रुटिपूर्ण कार्यवाही की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि दिनांक 2–10–1984 के पूर्व राजस्व अभिलेख में अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 का प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा दर्ज नहीं है, इस कारण भी वह व्यवस्थापन के पात्र नहीं थे । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदकगण द्वारा क्षेत्राधिकार के संबंध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है और न ही अपर आयुक्त के समक्ष उक्त बिन्दु विचारणीय था, इसलिये अपर आयुक्त द्वारा क्षेत्राधिकार के संबंध में आदेश पारित करने में त्रुटि पूर्ण कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 लगायत 3 के विद्वान अभिभाषक द्वारा एक सप्ताह में लिखित तर्क प्रस्तुत करने हेतु एक सप्ताह का समय चाहे जाने पर उन्हें लिखित तर्क प्रस्तुत करने हेतु एक सप्ताह का समय दिया गया था, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये है ।

5/ प्रतिउत्तर में अनावेदक कमांक 4 शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूँकि नायब तहसीलदार द्वारा मध्यप्रदेश दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदाय किया जाना (विशेष उपबंधों) अधिनियम, 1984 के अन्तर्गत आदेश पारित किया गया है, जिसके विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी को अपील सुनने का अधिकार नहीं था, अतः अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण नायब तहसीलदार के आदेश से व्यथित है, तब वह सक्षम न्यायालय में कार्यवाही कर सकते है ।

6/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 12–11–2003 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 30–10–2003 निरस्त किया जाकर इस निर्देश के साथ प्रकरण समाप्त किया गया है कि आवेदकगण तहसीलदार के आदेश दिनांक

18–7–2000 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है । इसके पश्चात् कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 63/09–10/स्वमेव निगरानी में दिनांक 7–5–2012 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त कर दिया गया है । ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्वमेव निरर्थक हो गया है । प्रकरण में आये तथ्यों से भी स्पष्ट परिलक्षित होता है कि कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–5–2012 पूर्णत वैधानिक एचं उचित आदेश है, अतः गुणदोष पर भी अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–11–2003 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर